



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082024-256087
CG-DL-E-06082024-256087

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2987]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2024/ श्रावण 14, 1946

No. 2987]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2024/ SHRAVANA 14, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2024

का.आ. 3131(अ).—चूंकि, केन्द्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1667(ई) दिनांक 24 जुलाई, 2012 द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 55 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42) का किलोमीटर 0+000 से किलोमीटर 265+000 (कटक-संबलपुर) खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) को सौंपा है;

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् “नियम” कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 55 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42) के डिजाइन चनेज किलोमीटर 0+400 (मौजूदा किलोमीटर 0+400) से डिजाइन चनेज किलोमीटर 60+200 (मौजूदा किलोमीटर 60+200) तक कटक अंगुल खंड के चार लेन के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 59.602 किलोमीटर तथा 1.980 किलोमीटर (जिनकी लंबाई 0.198 किलोमीटर है) लंबाई की समकक्ष बुनियादी ढांचा (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों का 100% की दर से शुल्क उद्गहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरा वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरा वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरा वाले)	4.20

1. नीचे लिए जाने वाला एवं संग्रहित किए जाने वाला शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखित सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान योग्य होगा:

तालिका-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
ओडिशा राज्य के कटक जिले में रामपेई गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 55 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 42) के किलोमीटर 22+800 पर	59.602 [60 मीटर से अधिक की संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई* (किलोमीटर में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (किलोमीटर)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
ओडिशा राज्य के कटक जिले में रामपेई गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 55 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 42) के किलोमीटर 22+800 पर	0.198 [^]	1.980	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^] विवरण निम्नानुसार है;

	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किलोमीटर में)
	किलोमीटर से	किलोमीटर तक		
1.	20+919	21+027	आरओबी	0.108
2.	38+693	38+783	फ्लाईओवर	0.090
कुल				0.198

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2024-25 के लिए मासिक पास की दर 340.00/- रूपए (तीन सौ चालीस रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

तालिका-4		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास अथवा अधिक एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।
9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1414.50 करोड़ रूपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एनएचआई/13013/सीओ/23-24/शुल्कअधिसूचना/कटक-अंगुलखंड(किमी. 0.400 से किमी. 60.200)/ई-236079]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2024

S.O. 3131(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1667(E), dated the 24 July, 2012 issued under Section 11 of the National Highways Authority

of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometre 0+000 to kilometre 265+000 (Cuttack-Sambalpur) section of National Highway Number 55 (old National Highway Number 42) in the State of Odisha to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee at 100% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 59.602 Kilometre and for equivalent structure length (having length more than 60 metre) of 1.980 Kilometre (having length of 0.198 Kilometre) on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below for use of four lane of Cuttack -Angul Section from Design Chainage Kilometre 0+400 (Existing Kilometre 0+400) to Design Chainage Kilometre 60+200 (Existing Kilometre 60+200) of National Highway number 55 (old National Highway Number 42) in the State of Odisha and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

Table-2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in kilometre) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Kilometre. 22+800 of National Highway Number 55 (Old National Highway Number 42) near Rampei Village in Cuttack District of State Odisha	59.602 [excluding length of structures >60m]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 metre at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-3			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures (in kilometre) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in kilometre)	Rate at which fee is payable
At Kilometre. 22+800 of National Highway Number 55 (Old National Highway Number 42) near Rampei Village in Cuttack District of State Odisha	0.198 [^]	1.980	100% for four or more lanes, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^]The details are as under: -

	Chainage		Type of Structure	Length (in Kilometre)
	From Kilometre	To Kilometre		
1.	20+919	21+027	ROB	0.108
2.	38+693	38+783	Flyover	0.090
Total				0.198

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty Kilometres from the fee plaza is Rs.340.000 (Rupees Three Hundred Forty only) for the year 2024-25 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rs. 1414.50 Cr. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.

[F. No. NHAI/13013/CO/23-24/Fee Notification/Cuttack-Angul Section(Km. 0.400 to Km. 60.200)/E-236079]